(137)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म0प्र0ग्वालियर, (कैम्प रीवा) म0प्र0

निगरानी 305-III-15

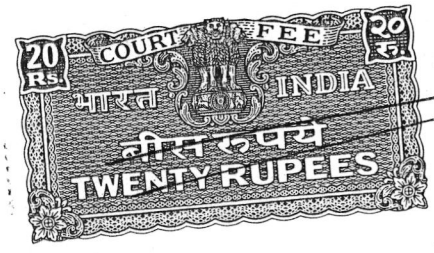

Rs. 20/-

20
16.1.15

बद्रीलाल तनय रघुवर प्रसाद शाह, निवासी ग्राम रैला, तहसील माड़ा ,

जिला सिंगरौली म0प्र0 - -- निगरानीकर्ता

बनाम

मध्य प्रदेश शासन -- --गैर निगरानीकर्ता

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय कलेक्टर,

जिला सिंगरौली म0प्र0 के प्रकरण क्र. 64/अ-7

2013-14 मे पारित आदेश दिनांक 18. 12.

श्री. अनूपदेव पाण्डेय एड के द्वारा आज दिनांक. 16-01-2015 को प्रस्तुत किया गया।

रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

===================================

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व

संहिता 1959 ई. ।

===================================

क्रमांक 4398 रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज दिनांक ______ को प्राप्त

27-1-15
क्लर्क. ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न है:-

1:- यह कि अधीनस्थ न्यायालय की आदेश विधि एवं प्रकिया के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

2:- यह कि विवादित भूमि नं0 211 जो बन्दोवस्ती नम्बर है,उस नवीन सर्वे नं0 580 रकवा 2.000 है. बनाया गया है, जबकि वास्तविक रूप से 211 का नया नम्बर 580 न होकर 850 है, जिसका क्षेत्रफल 0.0 है । ऐसा आदेश की कंडिका मे वर्णित है, जो गलत वर्णित है ।

3:- यह कि भूमि नं0 211 का वास्तविक नया नं0 850 है, जिस क्षेत्रफल 0.80 है. है, प्रार्थी को व्यवस्थापित क्षेत्रफल 2.00 है. चाहिये

... अधीनस्थ न्यायालयों से पारित हो चुका है

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 305–तीन/2015 जिला सिंगरौली

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16 –6–2017	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक द्वारा यह कलेक्टर जिला सिंगरौली के प्रकरण कमांक 64/अ–74/13–14 में पारित आदेश दिनांक 18–12–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। प्रश्नाधीन आदेश की सत्यापित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि कलेक्टर सिंगरौली ने आवेदक के शासकीय भूमि का भूमिस्वामी स्वत्व पाने की पात्रता नहीं होने के बावजूद भी नायब तहसीलदार ने प्रश्नाधीन भूमि स्वत्व पाने की पात्रता नहीं होने के बावजूद नायब तहसीलदार द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का व्यवस्थान किया था जिसे नियम/निर्देशों के प्रतिकूल होने के कारण स्थिर न रखते हुये निरस्त किया है। नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 18–3–1983 को प्रश्नाधीन शासकीय भूमि आवेदक के पक्ष में व्यवस्थापित करने का आदेश पारित किया था उस तिथि को आवेदक करीब 10 वर्ष का नाबालिग था। उसका वर्ष 1975–76 के पूर्व से अतिकमण तथ्यों से परे है। स्पष्ट है कि कलेक्टर द्वारा जो निष्कर्ष निकाले हैं जिसमें कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता प्रकट नहीं होती है। दर्शित परिस्थितियों में यह निगरानी आधारहीन होने ग्राह्यता के स्तर पर निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस0–एस0 अली) सदस्य	